डॉमेस्टिक वायलेंस एन्ड दी लॉ (पारिवारिक हिंसा तथा कानून)

न्यूज़ीलैंड के कोर्टों में पारिवारिक हिंसा पर कैसे कार्यवाही की जाती है तथा प्रोटैक्शन ऑर्डर (सुरक्षा आदेश) लोगों की पारिवारिक हिंसा से सुरक्षित रखने में कैसे सहायता कर सकता है, इस बारे में इस पुस्तिका में संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

यह पुस्तिका आपको निम्नलिखित के बारे में बताती हैः

- पारिवारिक हिंसा क्या है
- सुरक्षा आदेश क्या है
- सुरक्षा आदेश कैसे जारी किए जाते हैं
- सुरक्षा आदेश किसकी सुरक्षा करेंगे
- सुरक्षा आदेश की क्या शर्तें होती हैं
- सुरक्षा आदेश कब तक लागू रहेगा
- सुरक्षा आदेश का उल्लंघन होने की दशा में क्या होता है
- फ्री स्टॉपिंग
- हिंसा कार्यक्रम
- सुरक्षा आदेश से बच्चों की देखरेख के प्रबन्ध पर कैसे प्रभाव पड़ता है
- प्रोपर्टी आर्डर (जायदाद आदेश) क्या हैं
- पुलिस सुरक्षा आदेश क्या है
- पुलिस सुरक्षा आदेश का क्या प्रभाव होता है
- पुलिस सुरक्षा आदेश का उल्लंघन होने की दशा में क्या होता है
- अधिक जानकारी और सलाह के लिए कहाँ जा सकते हैं

पारिवारिक हिंसा क्या है?

डॉमेस्टिक वायलेंस (पारिवारिक हिंसा) एक्ट **1995** के अन्तर्गत स्पष्ट की गई पारिवारिक हिंसा की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल होता हैः

शारीरिक दुर्व्यवहारः किसी व्यक्ति को मुक्का, थप्पड़ या ठोकर मारने जैसे व्यवहार।

यौन दुर्व्यवहारः किसी भी तरह का अवांछित यौन सम्बन्ध/स्पर्श करना।

मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहारः उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति का पीछा करना, जायदाद को नुकसान पहुँचाना, हिंसा या दुर्व्यवहार की धमकी देना, छेड़-छाड करना, किसी व्यक्ति को डराना या धमकाना। इसमें किसी व्यक्ति का बराबर अपमान करके उनके जीवन पर नियंत्रण करना या उन पर काबू करने के रूप में किसी के पैसे, समय, कार या मित्रों तथा परिवार के साथ उनके सम्पर्क पर नियंत्रण करना। अगर प्रतिवादी किसी बच्चे को पारिवारिक हिंसा को देखने देता है तो इसे उनके विरूद्ध मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार कहा जाएगा।

सुरक्षा आदेश क्या है?

सुरक्षा आदेश को जज द्वारा लोगों की पारिवारिक हिंसा से सुरक्षा के लिए जारी किया जाता है।

जज आदेश को जारी कर सकता है अगर वह इस बात से संतुष्ट है किः

- पारिवारिक हिंसा का हादसा हुआ है, तथा
- किसी व्यक्ति तथा आमतौर पर उनके साथ रहने वाले बच्चों की उनके प्रति हिंसक होने वाले व्यक्ति से सुरक्षा के लिए आदेश की जरूरत है।

सुरक्षा आदेश कैसे जारी किए जाते हैं?

फैमिली कोर्ट

जिस व्यक्ति को पारिवारिक हिंसा से सुरक्षा चाहिए वह फैमिली कोर्ट के माध्यम से सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन कर सकता है। अगर स्थिति अरजेन्ट (बहुत जरूरी) हो, तो फैमिली कोर्ट आमतौर पर उसी दिन अस्थायी सुरक्षा आदेश जारी कर सकता है। अगर आवेदन अरजेन्ट न हो, तो फैमिली कोर्ट द्वारा आखिरी सुरक्षा आदेश जारी करने से पहले प्रतिवादी को अपनी सफाई देने का अवसर मिलेगा।

सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करने के लिए आपका हिंसक व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्ता होना जरूरी है। 'घरेलू रिश्तों' की परिभाषा डॉमेस्टिक वायलेंस एक्ट **1995** द्वारा निम्नलिखित के रूप में दी गई हैः

- शादी-शुदा जोड़े
- डि-फेक्टो जोड़े
- गे एवं लेज़बियन (समान लिंग वाले) जोड़े
- सिविल यूनियन में बंधे जोड़े
- माता-पिता तथा बच्चे
- एक ही परिवार के सदस्य
- फ्लैटमेट्स या एक ही घर या फ्लैट में रहने वाले अन्य लोग
- ऐसे लोग जिनका नज़दीकी व्यक्तिगत सम्बन्ध हो, चाहे वे साथ रहते हैं या नहीं।

क्रिमिनल कोर्ट (दन्ड न्यायालय)

दन्ड न्यायालय भी पीड़ितों की पारिवारिक हिंसा से रक्षा के लिए सुरक्षा आदेश जारी कर सकता है। दन्ड न्यायालय निम्नलिखित जारी कर सकता हैः

अगर कोई **पुलिस रक्षा आदेश** का उल्लंघन करता है तो एक अस्थायी सुरक्षा आदेश

एक अन्तिम सुरक्षा आदेश अगर कोई पारिवारिक हिंसा अपराध का दोषी पाया जाता है।

सुरक्षा आदेश किसकी सुरक्षा करेगा?

सुरक्षा आदेश उस व्यक्ति की सुरक्षा करेगा जिसने उस आदेश के लिए आवेदन किया था या अपराध से पीड़ित या उस व्यक्ति की जिसे पुलिस रक्षा आदेश द्वारा सुरक्षित किया गया था। इस व्यक्ति को आवेदक कहा जाता है। ऐसे कोई भी बच्चे जो आमतौर पर या नियमित रूप से उनके साथ रहते हैं वे भी सुरक्षित होते हैं।

आदेश को ऐसे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी जारी किया जा सकता है जिन्हें प्रतिवादी से सुरक्षा की जरूरत होती है, जैसे कि नया साथी, बड़े बच्चे या फ्लैटमेट। आदेश में उन लोगों का नाम दिया जाएगा।

सुरक्षा आदेश उनकी प्रतिवादी (वह व्यक्ति जो हिंसक हो रहा है) से सुरक्षा करेगा, तथा अगर जरूरत हुई तो और भी कोई व्यक्ति जिसे प्रतिवादी ने सुरक्षित लोगों (सम्बन्धित प्रतिवादी) के प्रति हिंसक होने के लिए प्रोत्साहित किया है।

सुरक्षा आदेश की क्या शर्तें होती हैं?

सुरक्षा आदेश ऐसी शर्तों (नियमों) को निर्धारित करता है जिनका उल्लंघन (तोड़ना) प्रतिवादी को नहीं कऱना चाहिए। अगर प्रतिवादी आदेश में दी गई किसी भी शर्त को तोड़ता है, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है तथा पुलिस उन पर **दन्डनीय अपराध** का अभियोग लगा सकती है।

अहिंसा की शर्तें

सुरक्षा आदेश के प्रतिवादी को निम्नलिखित नहीं करना चाहिएः

आदेश द्वारा सुरक्षित व्यक्ति (यों) से दुर्व्यवहार (शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक)

आदेश द्वारा सुरक्षित व्यक्ति (यों) को शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार की धमकी देना

सुरक्षित व्यक्ति की जायदाद को नुकसान पहुँचाना या नुकसान पहुँचाने की धमकी देना

आदेश द्वारा सुरक्षित व्यक्ति (यों) से दुर्व्यवहार करने या उन्हें धमकी देने के लिए किसी और को प्रोत्साहित करना।

नॉन-कॉन्टैक्ट (सम्पर्क न करने) की शर्तें

सुरक्षा आदेश के प्रतिवादी को निम्नलिखित नहीं करना चाहिएः

सुरक्षित व्यक्ति के घर, काम की जगह या स्कूल में जाना

सुरक्षित व्यक्ति जहाँ कई बार या नियमित रूप से जाता हो, जैसे कि जहाँ वे काम करते हैं, उनका पड़ोस, या जहाँ वे पढ़ाई करते हैं, उसके आस-पास घूमना।

सुरक्षित व्यक्ति (यों) का पीछा करना

सुरक्षित व्यक्ति (यों) को कहीं आने या जाने से रोकने की कोशिश करना

सुरक्षित व्यक्ति (यों) को टेलिफोन, टैक्स्ट, ईमेल करना, पत्र भेजना, फैक्स करना या किसी अन्य तरीके से सम्पर्क करना।

नॉन-कॉन्टैक्ट शर्तें तब लागू नहीं होती अगर प्रतिवादी तथा आवेदक एक साथ रहते हैं। आवेदक किसी भी समय प्रतिवादी को कह सकते हैं कि अब वे उनके साथ नहीं रहना चाहते। अगर ऐसा होता है, तो नॉन-कॉन्टैक्ट शर्तों को लागू कर दिया जाएगा।

अगर कहा जाता है, तो प्रतिवादी को चले जाना चाहिए, और वे नहीं जाते तो वे सुरक्षा आदेश का उल्लंघन करते हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है तथा उन पर **दन्डनीय अपराध** का अभियोग लगाया जा सकता है।

अपवाद

प्रतिवादी निम्नलिखित परिस्थितियों में सुरक्षित व्यक्ति (यों) से सम्पर्क कर सकता हैः

अगर कोई एमरजेम्सी हो और सम्पर्क करना बहुत जरूरी है

अगर कोर्ट ऑर्डर के अन्तर्गत इसकी अनुमति दी गई हो (जैसे कि पेरेन्टिंग ऑर्डर) या प्रतिवादी और वयस्क सुरक्षित व्यक्ति के बीच एक लिखित पेरेन्टिंग अनुबन्ध हो

अगर सम्पर्क को सुरक्षा आदेश की एक विशेष शर्त के रूप में रखा गया है

चिल्ड्रन, यंग परसन्स एन्ड दीयर फैमिलीज़ एक्ट (बच्चे, युवा लोग एवं उनका परिवार अधिनियम) **1989** के अन्तर्गत फैमिली ग्रुप कान्फ्रेन्स (परिवार समूह सम्मेलन) में उपस्थित होने के लिए।

विशेष शर्तें

सुरक्षा आदेश में कुछ विशेष शर्तें शामिल हो सकती हैं, उदाहरण के तौर पर, सम्पर्क इंतजाम जिसमें प्रतिवादी को अपने बच्चों के साथ सम्पर्क करने की अनुमति दी जा सकती है।

हथियार

जब एक अस्थायी सुरक्षा आदेश जारी किया जाता है, तो यह जरूरी है कि प्रतिवादी निम्नलिखित पुलिस को सौंप देः

उनके पास होने वाले कोई भी फायर आर्म्स (बन्दूकों) के लायसेंस तथा

उनके कब्जे में होने वाले हथियार। हथियार कोई भी बन्दूक, एयरगन, पिस्तौल, प्रतिबन्धित हथियार, एम्युनिशन या विस्फोटक सामग्री होते हैं।

अगर प्रतिवादी पर अन्तिम सुरक्षा आदेश लगाया जाता है, तो उनके फायरआर्म्स लायसेंस को पुलिस द्वारा अपने आप ही रद्द कर दिया जाएगा।

स्टॉपिंग वायलेंस प्रोग्राम (हिंसा विराम कार्यक्रम)

जब एक सुरक्षा आदेश जारी कर दिया जाता है, तो ज्यादातर स्थितियों में प्रतिवादी को कोर्ट द्वारा हिंसा विराम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी सुरक्षा आदेश में दी जाएगी (जैसे कि उन्हें कब और कहाँ कार्यक्रम प्रदाता के पास रिपोर्ट करना होगा)।

हिंसा विराम कार्यक्रम में प्रतिवादी को निम्नलिखित के बारे में सिखाया जाएगाः

पारिवारिक हिंसा तथा सुरक्षित व्यक्तियों पर इसका क्या प्रभाव होता है

डॉमेस्टिक वायलेंस एक्ट **1995** कैसे काम करता है

बिना हिंसा के जीवन बिताने के लिए युक्तियां तथा भावी लड़ाई-झगड़ों या मतभेद से निपटने के बढ़िया तरीके।

हिंसा विराम कार्यक्रम प्रतिवादी के लिए व्यक्तिगत रूप में या प्रतिवादियों के समूह के लिए हो सकते हैं। प्रतिवादियों के लिए कई सप्ताह की अवधि के लिए साप्ताहिक तौर पर कार्यक्रम में भाग लेना जरूरी होगा। यह कार्यक्रम निःशुल्क है।

सुरक्षा आदेश कितने समय के लिए लागू रहेगा?

अगर प्रतिवादी सफलता से इसे डिफेन्ड (सफाई पेश) नहीं करते हैं तो एक अस्थायी सुरक्षा आदेश तीन महीने के लिए लागू होगा । तीन महीने के बाद आदेश एक आखिरी सुरक्षा आदेश बन जाता है।

एक आखिरी आदेश स्थायी रूप से लागू रहता है, जब तक कि आप या आवेदक फैमिली कोर्ट से इसे समाप्त करने के लिए न कहें और कोर्ट ऐसा करने के लिए सहमत न हो जाए ।

सुरक्षा आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने पर क्या होता है?

सुरक्षा आदेश की शर्तों का उल्लंघन करना एक दन्डनीय अपराध है। अगर पुलिस प्रतिवादी पर उल्लंघन के लिए अभियोग लगाती है तो उन्हें दन्ड न्यायालय में हाजिर होना पड़ेगा।

प्रतिवादियों का इतिहास अपराधी हो जाता है तथा उन्हें **दो साल तक की अवधि के लिए जेल भेजा जा सकता है।**

अगर प्रतिवादी हिंसा विराम कार्यक्रम में भाग नहीं लेता और उसे पूरा नहीं करता तो इसे दन्डनीय अपराध माना जाता है। अगर प्रतिवादियों को क्रिमिनल कोर्ट में इस अपराध के लिए दोषी पाया जाता है तो उन पर **5,000 डालर तक का जुर्माना हो सकता है या उन्हें 6 महीने तक के लिए जेल भेजा जा सकता है तथा** इसके बावजूद भी उन्हें इस कार्यक्रम में उपस्थित होना पड़ेगा।

निःशुल्क पारिवारिक हिंसा शिक्षा एवं सहायता कार्यक्रम

सुरक्षित लोग (बच्चों सहित) फैमिली कोर्ट से **निःशुल्क** और **गोपनीय** पारिवारिक हिंसा शिक्षा तथा सहायता कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं।

ये कार्यक्रम सुरक्षित लोगों को अधिक आत्मविश्वास से भरा महसूस करने में सहायक हो सकते हैं, तथा जीवन में आगे बढ़ने में उनकी सहायता करते हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये कार्यक्रम सुरक्षित लोगों को यह भी सिखा सकते हैं कि वे अपने आप को भविष्य में पारिवारिक हिंसा से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये कार्यक्रम सुरक्षित लोगों को पारिवारिक हिंसा, परिवारों पर होने वाले उसके प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी भी देते हैं तथा सुरक्षा आदेश कैसे काम करते हैं , इस बारे में अधिक जानकारी देते हैं।

बच्चों के लिए विशेष रूप से विकसित किए गए कार्यक्रम हिंसा तथा उन पर और परिवार पर होने वाले उसके प्रभावों को समझने में सहायता कर सकते हैं। हालांकि ये कार्यक्रम बहुत गंभीर मुद्दों पर काम करते हैं परन्तु इनकी रचना आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत को प्रोत्साहित करने और हँसी मजाक के अवसर देने वाली होती है ताकि बच्चे इन कार्यक्रमों में रूचि ले सकें।

सुरक्षित लोगों के लिए कार्यक्रम उन कार्यक्रमों से बहुत ही अलग होते हैं जो प्रतिवादियों के लिए होते हैं।

अगर सुरक्षित लोग इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे या तो अपने वकील या फैमिली कोर्ट के कर्मचारियों से बात करें। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षित व्यक्ति को नजदीकी उपलब्ध कार्यक्रम में प्रवेश मिल सके।

बच्चों की देखरेख के इंतजाम को सुरक्षा आदेश कैसे प्रभावित करता है?

सुरक्षा आदेश आमतौर पर या नियमित रूप से आवेदक के साथ रहने वाले **17** साल से कम आयु के बच्चों की रक्षा करता है। सुरक्षा आदेश में दी गई नॉन-कॉन्टैक्ट (सम्पर्क मना है) शर्तों के कारण, प्रतिवादी आमतौर पर उनके साथ कोई सम्पर्क नहीं कर सकता।

इसका अर्थ यह है कि बच्चे आमतौर पर आवेदक के पास रहेंगे, जो उनकी दैनिक रूप से देखभाल करता/करती है। सुरक्षा आदेश के जारी रहने तक प्रतिवादी आमतौर पर उनसे कोई सम्पर्क नहीं कर सकता।

प्रतिवादी अपने बच्चों के साथ सम्पर्क कर सकता है अगरः

- **पेरेन्टिंग आदेश** या किसी अन्य कोर्ट आदेश के अन्तर्गत, अथवा सुरक्षित व्यक्ति और प्रतिवादी के बीच एक लिखित पेरेन्टिंग अनुबन्ध में इसकी अनुमति दी गई है
- आवेदक प्रतिवादी के साथ रहने को सहमत हो गया/गई है।

केयर आफॅ चिल्ड्रन एक्ट (बच्चों की देखरेख अधिनियम) के अन्तर्गत जारी किए गए पेरेन्टिंग आदेश

आवेदक तथा प्रतिवादी दोनों फैमिली कोर्ट में केयर आफॅ चिल्ड्रन एक्ट **2004** के अन्तर्गत जारी किए गए पेरेन्टिंग आदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेरेन्टिंग आदेश यह निश्चित कर सकता है कि बच्चों की देख-रेख दैनिक रूप से कौन करेगा तथा उनके साथ कौन सम्पर्क कर सकता है।

किसी भी स्तर के सम्पर्क की अनुमति देने से पहले जज का इस बारे में संतुष्ट होना जरूरी है कि बच्चे प्रतिवादी के साथ सुरक्षित रहेंगे। जज यह कह सकते हैं कि प्रतिवादी किसी अन्य वयस्क व्यक्ति की देख-रेख में ही अपने बच्चों के साथ सम्पर्क कर सकते हैं।

अगर जज देख-रेख में सम्पर्क की अनुमति देते हैं, तो पेरेन्टिंग आदेश में यह बताया जाएगा कि प्रतिवादी कब अपने बच्चों से मिल सकता है।

यदि सुरक्षा आदेश को दन्ड न्यायालय में जारी न किया गया हो तो अक्सर पेरेन्टिंग आदेश के लिए आवेदन सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करते समय ही किया जा सकता है। ऐसी दशा में आवेदक या प्रतिवादी को फैमिली कोर्ट में अलग-अलग आवेदन करना पड़ेगा।

पेरेन्टिंग आदेशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ***पेरेन्टिंग ऑर्डर्स*** पुस्तिका को देखें (कोर्ट्स/**005**)।

प्रोपर्टी ऑर्डर्स (जायदाद आदेश) क्या होते हैं?

जायदाद आदेश में स्पष्ट किया जाता है कि किसी विशेष घर या फ्लैट में कौन निवास कर सकता है तथा कौन फर्नीचर और उपकरणों को रख सकता है, उदाहरण के तौर पर टीवी या स्टीरियो। जायदाद आदेश द्वारा कवर किए गए फर्नीचर की सूची को आदेश में लिखा जाएगा। जायदाद आदेश के लिए आवेदक फैमिली कोर्ट के पास आवेदन करता है।

अगर सुरक्षित व्यक्ति को जरूरत होती है तो जज द्वारा जायदाद आदेश जारी किया जाएगा, या अगर ऐसा करना बच्चों के हित में है।

अक्सर जायदाद आदेश के लिए आवेदन सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करते समय ही किया जा सकता है, तथा इसे जज द्वारा बिना नोटिस या प्रतिवादी को नोटिस के रूप में जारी किया जा सकता है। अगर सुरक्षा आदेश को दन्ड न्यायालय में जारी किया गया था तो जायदाद आदेश के लिए आवेदन सुरक्षित व्यक्ति द्वारा अलग से फैमिली कोर्ट में किया जाएगा।

घर में कौन रहता है इस बारे में आदेश

ऑक्यूपेशन ऑर्डर (कब्ज़ा आदेश) आवेदक को उस घर या फ्लैट में निवास करने का अधिकार देता है जहाँ वे अब निवास कर रहे हैं। आदेश प्रतिवादी को आवेदक की सहमति के बिना वहाँ निवास करने से रोकता है।

टेनैन्सी ऑर्डर (किरायेदारी आदेश) में कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिवादी आवेदक के साथ किराये पर रह रहे थे, वे अब उसमें निवास नहीं कर सकते। आवेदक वहाँ रहना जारी रख सकते हैं तथा आदेश प्रतिवादी को वहाँ निवास करने से रोकता है।

अगर आवेदक के पास कब्ज़े या किरायेदारी का आदेश है तो यह जरूरी है कि प्रतिवादी आदेश में लिखित जायदाद से बाहर निकल जाए। अगर प्रतिवादी उस जायदाद में रहता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है तथा पुलिस वहाँ आकर प्रतिवादी को हटा सकती है। प्रतिवादी पर ट्रैसपास (अवैध प्रवेश) करने का अभियोग भी लगाया जा सकता है। अगर उसे इस अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे तीन महीने तक की अवधि के लिए जेल भेजा जा सकता है।

फर्नीचर के बारे में आदेश

जिस घर या फ्लैट में आवेदक प्रतिवादी के साथ रह रहे थे, अगर वे उसमें रूके रहना चाहते हैं, तो वे घर या फ्लैट के फर्नीचर और उपकरणों को अपने पास रखने के लिए फैमिली कोर्ट में एक **ऐन्सिलरी फर्नीचर ऑर्डर (सहायक फर्नीचर आदेश)** के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अगर आवेदक वहाँ से बदली कर लेना चाहते हैं, तो वे सारे या कुछ फर्नीचर और उपकरणों को अपने साथ अपने नए घर में ले जाने की अनुमति के लिए **फर्नीचर आदेश** के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस फर्नीचर का मालिक प्रतिवादी है या आवेदक।

पुलिस सेफ्टी ऑर्डर (सुरक्षा आदेश) क्या है?

पुलिस सेफ्टी ऑर्डर (पीएसओ) उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जहाँ पुलिस को उचित आधार पर यह विश्वास होता है कि पारिवारिक हिंसा हो चुकी है या होने की संभावना है।

यह आदेश पाँच दिन तक जारी रह सकता है परन्तु अधिकतर यह एक या दो दिन के लिए होता है।

पीएसओ का उद्देश्य हिंसा, परेशानी या धमकी से उस व्यक्ति (सुरक्षित व्यक्ति) की सुरक्षा करना है जो खतरे में हो। यह आदेश उस समय/तिथि के समाप्त होने तक लागू रहता है जो आदेश में दी गई है।

पुलिस को इस आदेश को जारी करने के लिए खतरे में पड़े व्यक्ति की सहमति लेने की जरूरत **नहीं** होती।

पुलिस सेफ्टी आर्डर का क्या प्रभाव होता है?

जब पीएसओ जारी किया जाता है, तो प्रतिवादी के लिए पीएसओ के लागू होने तक उस पते से बाहर निकल जाना जरूरी है, चाहे वे उस पते के स्वामी ही क्यों न हों तथा/या आमतौर पर वहाँ निवास ही क्यों न करते हों।

प्रतिवादी के लिए सुरक्षित व्यक्ति पर हमला करने, धमकी देने या परेशान करने या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने की मनाही है।

प्रतिवादी को सुरक्षित व्यक्ति का पीछा करने, उसे रोकने या उससे किसी भी स्थान पर, चाहे घर पर, काम की जगह पर, या जहाँ सुरक्षित व्यक्ति आमतौर पर जाता है वहाँ किसी भी तरह का सम्पर्क करने की मनाही है।

प्रतिवादी को चाहिए कि वह पीएसओ की अवधि के दौरान पुलिस को अपनी सारी बन्दूकें तथा उन बन्दूकों के लायसेंस वापिस कर दें।

पीएसओ खतरे में पड़े व्यक्ति के साथ रहने वाले बच्चों की भी सुरक्षा करता है तथा पेरेन्टिंग आदेशों या अनुबन्धों में प्रतिवादी को बच्चों से मिलने या उनकी देखभाल करने की अनुमति वाली शर्तों को स्थगित कर दिया या रोक दिया जाता है।

पुलिस पीएसओ जारी और उसे लागू करने के लिए प्रतिवादी को दो घंटे तक रोक सकती है।

इसके विरूद्ध अपील का कोई अधिकार नहीं है।

किसी के द्वारा पुलिस सुरक्षा आदेश का उल्लंघन करने की दशा में क्या होगा?

अगर प्रतिवादी पीएसओ का उल्लंघन करता है, तो पुलिस प्रतिवादी पर अभियोग लगा सकती है और उसे क्रिमिनल कोर्ट के सामने पेश कर सकती है।

अगर जरूरी हुआ तो उसे कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है।

हो सकता कि कोर्टः

- प्रतिवादी को बिना किसी और आदेश के रिहा कर दे

- पुलिस को दूसरा पीएसओ जारी करने का आदेश दे
- अस्थायी सुरक्षा आदेश जारी कर दे (अगर जो व्यक्ति ख़तरे में है उसे आपत्ति न हो तो)

अस्थायी सुरक्षा आदेश को जारी करने के लिए कोर्ट को किसी से आवेदन की जरूरत नहीं होती।

अन्य अपराधों, जैसे कि हमले या जायदाद के नुकसान की जाँच की जाएगी तथा पर्याप्त सबूत होने की दशा में अभियोग लगाया जाएगा।

अधिक जानकारी तथा सलाह कैसे प्राप्त की जाए

फैमिली कोर्ट से जानकारी

सुरक्षा आदेशों तथा फैमिली कोर्ट की कार्यविधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन फैमिली कोर्ट की वेबसाइट www.justice.govt.nz/family पर देखें या नजदीकी फैमिली कोर्ट से सम्पर्क करें।

पुलिस से जानकारी

सुरक्षा आदेशों तथा पुलिस सुरक्षा आदेशों के बारे में अधिक जानकारी पुलिस की वेबसाइट www.police.govt.nz पर प्राप्त है।

वकील से कानूनी सलाह लेना

सुरक्षा आदेश के मतलब को समझने तथा फैमिली कोर्ट में सुरक्षा आदेश कैसे लिया जा सकता है इस बारे में वकील लोगों की सहायता कर सकते हैं।

वकीलों को यैलो पेजिज़ फोन पुस्तिका में "Lawyers" या "Barristers & Solicitors" के नीचे, या वेबसाइट www.familylaw.org.nz पर ढूंढा जा सकता है। फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लॉ सोसायटी या कम्युनिटी लॉ सैंटर भी सुझाव दे सकते हैं।

लीगल ऐड (कानूनी सहायता) प्राप्त करना

ऐसा कोई व्यक्ति जिसे वकील की जरूरत है परन्तु वे उसकी फीस का भुगतान नहीं कर सकते तो उन्हें लीगल ऐड मिल सकती है। इसके अन्तर्गत सरकार वकील के सारे या कुछ बिलों का भुगतान करती है। कभी-कभी आपको सारे या कुछ बिल का वापिस भुगतान करना पड़ सकता है।

लीगल ऐड के बारे में जानकारी वकील या लीगल सर्विसिज़ एजेन्सी (फोन पुस्तिका के अगले भाग के नीले सरकारी पृष्ठों को देखें) या उनकी वेबसाइट www.lsa.govt.nz से उपलब्ध है।

इट्स नॉट ओके (यह उचित नहीं है)!

पारिवारिक हिंसा, यह क्या है तथा सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है इस बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.areyouok.org.nz पर जाएं या **0800 456 450** नम्बर पर निःशुल्क फोन करें।

कोर्ट्स/001

जून 2010